ग्राम पंचायत क्यारी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत क्यारी, कोटखाई, विकास खण्ड जुब्बल, जिला शिमला के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे

(i) प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमती द्रोपती चौहान	1.4.2015 से 22.01.2016 तक
2	श्री हरपाल चौहान	23.01.2016 से 31.3.18 तक

(ii) सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मोहन सिंह	1.4.2015 से 31.3.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत क्यारी, कोटखाई, विकास खण्ड जुब्बल, जिला शिमला के अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	गृहकर राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	6	1.44
2	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों व Mustroll भुगतान हेतु राशि का नकद भुगतान किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना ।	8	1.03
3	दिनांक 31.03.2018 तक अनुदान का उपयोग न करना।	10	14.35
4	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक /स्टोर का क्रय करना	12	5.48
5	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न करना	13	4.11
6	ग्राम पंचायत द्वारा फर्म को सम्भावित अधिक भुगतान	14&15	2.09
7	भुगतान से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीद प्राप्त न करना	16	3.25
8	भुगतानों के वाऊचर/ अभिलेख इत्यादि अंकेक्षण को उपलब्ध	18	4.83

न करवाना|

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत क्यारी कोटखाई , विकास खण्ड जुब्बल , जिला शिमला के अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल कुमार, सहायक नियंत्रक द्वारा अवधि 16.07.2018 से 4.08.2018 तक के दौरान क्यारी कोटखाई , जिला शिमला के कार्यालय में किया गया। लेखाओं के विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है:-

वितीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	05/2015	07/2015
2016-17	07/2016	03/2017
2017-18	09/2017	04/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत क्यारी कोटखाई , विकास खण्ड जुब्बल , जिला शिमला के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क `8000 बनता है। अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 7/2018 दिनांक 04.08.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, क्यारी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव , ग्राम पंचायत क्यारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA,14वें वित् आयोग के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की सामान्य रोकड़ बही मे आय/व्यय को लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। परन्तु रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए है जिसके कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट- 1"** पर दिया गया है।

वितीय वर्ष	आरम्भिक	प्राप्तियां (`)	कुल योग	व्यय (`)	अन्तशेष (`)

	शेष (`)		(`)		
2015-16	1558499.73	2423692.00	3982191.73	3059008.00	923183.73
2016-17	923183.73	4838248.00	5761431.73	2816576.00	2948855.73
2017-18	2944855.73	3726092.00	6670947.73	3098288.00	3572659.73

(क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तिम शेष में `38.06 लाख का अंतर पाया जाना तथा बित बर्ष 2017-18 के अंत मे आय तालिका न बनाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1),(2),(3) व 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव रोकड़ बही को नियमानुसार बनायेगा | व्यय के प्रत्येक मद के लिए वाउचर तैयार करके उस को प्रधान से पूर्ण विवरण सहित पारित करवाएगा तथा तदानुसार भुगतान सुनिश्चित करके वाउचर संरक्षण उचित नस्ती मे करेगा और इसी प्रकार ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली आय की प्राप्ति पर उस व्यक्ति/फर्म के नाम रसीद जारी करेगा और जिसकी दूसरी प्रति को रसीद बुक मे संरक्षण व हर रसीद की प्रविष्टि रोकड़ बही मे तिथि वार करके हर माह के अंत मे बैंक के साथ मिलान करने के साथ-2 उसकी पुष्टि प्रधान से करवायेगा | अभिलेखो की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अंत मे उक्त वर्णित नियमानुसार रोकड़ बही व बैंक पास बुक से मिलान नहीं किया गया था और न ही बर्ष के अंत मे आय और व्यय का विवरण रोकड़ बही मे बनाया गया था |इसी प्रकार न तो रोकड़ बहियों मे आरम्भिक शेष दर्शाया गया था और न ही वर्ष के अंत मे अन्तिम शेष लिया गया था जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.18 को अन्तिम शेषों में निम्न विवरणानुसार `38.06 का अन्तर पाया गया:-

रोकड़ वही का नाम	31.03.18 को रोकड़ बही अनुसार शेष (`)	31.03.18 को बैंक खातों के अनुसार शेष (`)	अंतर (`)
सामान्य	0.00	1644000.47	1644000.47
निधि (2027)	0.00	1205234.00	1205234.00
14 वें वित्तायोग	0.00	957062	957062.00
			`3806296.47

इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 30.07.2018 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या nil दिनांक 04.04.18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ने सूचित किया गया कि रोकड़ बही का रख रखा व /संचालन अब पूर्व पद्धति के अनुसार किया जा रहा है तथा भविष्य मे भी रोकड़ वही का रख रखाव वितीय नियमों के अनुसार ही किया जायेगा| अतः अपेक्षित कार्यवाही के अतिरिक्त वर्णित अंतर का शीघ्र समाधान करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना :-

ग्राम पंचायत **क्यारी** की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था ,

जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

5 **पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज** `1.31 **लाख को खाता "क" में हस्तान्तरित न करना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्व: संसाधनों के खाता **"क"** में हस्तान्तरित किया जाना अपेक्षित हैं परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज `131002 को खाता **"क"** में हस्तान्तरित नहीं किया गया था जोकि उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये , खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को खाता **"क"** में हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

अवधि 04/2016 से 03/2018 के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	**Name of GIA**	**Amount of Interest Earned (`)**
2016-17 से 2017--18	Genaral cash book a/c No.1130(development Grant	26208
2016-17 से 2017--18	General cash book A/c No. 910(development Grant)	23344
2016-17 से 2017--18	General cash book A/c No.40 (development Grant)	81450
	TOTAL	**`131002**

6 **पंचायत राजस्व के अंतर्गत गृहकर `1.44 लाख वसूली हेतु शेष**

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट- 2** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 तक गृहकर राजस्व `1.44 लाख वसूली हेतु शेष था। अत: उपरोक्त राजस्व की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की शीघ्र वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 **सेब के बगीचे से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत न करना**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत क्यारी को वर्ष 2017-18 मे सेब के बगीचे से `1232062 की आय प्राप्त हुई थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान इससे सम्बंधित अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण प्राप्त आय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये और सेब के बगीचे

से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेखों को आगामी लेखा परीक्षा के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिशिचित किया जाये |

8. विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों , Must roll भुगतान हेतु `1.03 लाख की राशि का नकद भुगतान किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार `1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा संबन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों , बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** की पड़ताल करने पर पाया गया कि `**102500** के व्यय वाऊचरों/Must roll का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान/उप प्रधान और पंचायत सचिव या किसी व्यक्ति विशेष को किया दर्शाया गया था। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि व्यय वाऊचरों पर तो भुगतान बैंक चैक संख्या अंकित करके बैंक चैक द्वारा ही दर्शाया गया था। जबकि बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** के अनुसार सभी बैंक चैक पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों के नाम जारी किए गए थे , ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 3** पर दिया गया हैं। बैंक चैक को संबन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान/ उप प्रधान और पंचायत सचिव के नाम जारी करने से भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । अत: नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत प्रधान/ उप प्रधान और पंचायत सचिव के नाम जारी किए जाने को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण का अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान उक्त नियमानुसार सीधे प्राप्तकर्ता के नाम बैंक चैक जारी करके ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 8/2018 दिनांक 04.04.2018 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या शून्य दिनांक 04.04.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ने सूचित किया गया कि ज़्यादातर भुगतान मजदूरो को किए गए थे , जिनके बैंक खाते नहीं थे तथा भविष्य में सभी भुगतान संबन्धित व्यक्तियों को ही किए जायेगे।

9. बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 37 के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा विहित फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार व पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

10 (1) अनुदान `14.35 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को कुल `**14,35,000** की अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष थी

जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-4** पर दिया गया हैं। इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 30.07.18 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या शून्य दिनांक 4-04-18 से सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अनुदानों का उपयोग शीघ्र ही विकास कार्यो मे खर्च करके किया जायेगा| अत: इन अनुदानों को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये उक्त राशि को सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

(क) ₹1 . 79 लाख के निर्माण कार्यो के अधूरे पाया जाना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व : स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक कुल ₹**179220** के निर्माण कार्य अधूरे पडे थे जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-5** पर दिया गया हैं। अत: इन अधूरे पडे निर्माण कार्यो को विहित अवधि के दौरान पूर्ण न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इन्हें शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ख) ₹4 . 00 लाख के निर्माण कार्यो को अधूरा छोड़ना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व : स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक कुल ₹**400000** के निर्माण कार्य को बीच मे छोड़ दिया गया था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-6** पर दिया गया हैं। अत: इन निर्माण कार्यो को बीच मे छोड़ देने तथा विहित अवधि के दौरान पूर्ण न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इन्हें शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें |

11. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन व माप पुस्तिका इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार `50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान अनुदानों व अपनी निधि से विकास कार्यो/ निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया था किन्तु व्यय से सम्बन्धित प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन लेखा परीक्षा के दौरान जाँच हतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया था जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित है। इसके अतिरिकत किए गए कार्यो की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण इन विकास कार्यो मे खर्च राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अत: निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय के अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिशिचित किया जाए|

12. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना₹5.48 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-7"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹548329 के स्टॉक/स्टोर का क्रय उक्त नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में उक्त वर्णित नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की क्रय ₹4.11 लाख की वस्तुओं का भंडार पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप विहित फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के दौरान क्रय की गई ₹411452 की विभिन्न मदों, जिनका विस्तृत विवरण **"परिशिष्ट-8"** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में , क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी तथा ऐसे में वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए क्रय सामग्री से संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में लेंखाखन व खपत से संबन्धित माप पुस्तिका में लेखांकन करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

14. ग्राम पंचायत द्वारा फर्म को ₹1.94 लाख का सम्भावित अधिक भुगतान करना

ग्राम पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 3/17 के व्यय बाउच रों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत ने पंचायत भवन क्यारी के निर्माण हेतु अपनी निधि से मेसर्स गोपाल एजेंसी कोटखाई से बिल संख्या 3891 दिनाक 16-03-17 द्वारा ₹260420 के channel,MS Steel, pati etc. की खरीद की गई जिसके विरुद्ध ₹193908 का भुगतान चेक संख्या 822938 दिनाक 29-03-17 द्वारा किया गया था तथा जिसकी प्रविष्टि own sources cash book के पृष्ट 92 मे की गयी थी परन्तु जब 14th SFC की रोकड़ बही मे दर्ज खर्च से सम्बन्धित जाँच पड़ताल की गई तो पाया गया कि इसी बिल के against 14thSFC से चेक स. 2 दिंनाक 18-03-17 द्वारा भी ₹260420 का भुगतान मेसर्स गोपाल एजेंसी कोटखाई को किया गया था जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने ₹193908 का भुगतान मेसर्स गोपाल एजेंसी कोटखाई को अधिक किया है जिसकी पूर्ण छानबीन अपने स्तर पर करके वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक भुगतान पाए जाने की स्थिति में वर्णित राशि की वसूली मेसर्स गोपाल एजेंसी कोटखाई से करके शीघ्र ग्राम पंचायत के सम्बन्धित शीर्ष मे जमा की जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करबाया जाये|

15. आहरित राशी ₹0.15 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजन

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सामान्य रोकड़ वही के पृष्ट 86 पर चैक संख्या 106658 दिंनाक 17-04-17 द्वारा ₹100000 का आहरण water store tank के निर्माण हेतु सामग्री क्रय करना दर्शाया गया था जबकि इस निकासी के विरूद्ध केवल ₹85380 का ही भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Name of firm and bill no.	Amount (₹)	Discription of material
M/S Gopal Agency, kotkhai bill no.770 dt. 28-03-17	38520.00	Steel & wire
M/S Sood harware & sanitery Store	32240.00	Saria and cement
M/S Gopal Agency, kotkhai bill no.12929 dt. 15-04-17	14620.00	saria
Total Amount	**85380.00**	

इस प्रकार आहरण राशि में से शेष ₹14620 (₹100000-₹85330) के भुगतान से सम्बन्धित कोई भी प्रविष्टि रोकड़ वही में नहीं पाई गई जिससे इस राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। अतः इस सन्दर्भ में पंचायत स्तर उचित छानबीन करके वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा राशि के दुर्विनियोजन की अवस्था में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. विभिन्न भुगतानों के संदर्भ मेंउचित वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीद प्राप्त न करना

नियमानुसार किसी भी मद की खरीद या अन्य कार्य हेतु पंचायत निधि /GIA से भुगतान करने पर सम्बन्धित व्यक्ति फर्म से वास्तविक प्राप्ति कर्ता रसीद प्राप्त किया जाना अनिवार्य हैं। अंकेक्षण में विभिन्न भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹324540 के भुगतानों के संदर्भ में वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीद प्राप्त नहीं की गई थी। जिसके कारण भुगतान की पूर्ण सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. no.	Voucher no. /date	Cash book page no. and cash book	Particulars	Name of material	Amount (₹)	Name of work	Remarks
	nil/5/05/15	33(gernal)	the pick up &utility operators Union(regd.) C.M. No.622 dt.2/05/15	160 cft sand	9600	Repair of tank Nash Ghati.	receipt not collected of payment
	nil/22/05/15	34(Gerenal)	M/s Gopal Agency bill no.3151 dated 3/05/15	18.383 steel	83980	c/o panchayat Bahawan Kiari	receipt not collected of payment

	nil/22/05 /15	34(Gerenal)	M/s Gopal Agency bill no.9174 dated 15/05/15	2.o7qts. M S angle etc	9652	c/o panchayat Bahawan Kiari	receipt not collected of payment
	nil/22/03 /17	81(Gerenal)	HPSCSC Vide Bill No. CSH-016-00978 dt.22/03/17	40 NO. Cement Bags.	11400	C/0 maidan in Jole	receipt not collected of payment
	NIL OF 29/03/17	92 own sources	M/s Gopal Agency bill no.3891 dated 16/03/17	Purchase of angle irons, M.S. Sheets etc for the C/O Panchayat bhawan	193908	C/0 panchyat bhawan kiari	receipt not collected of payment
	nil of 11/04/17	97 own sources	The Gumma Truck Operators Union (Regd.)KotkhaiVide bill no. 5622 dated 5/04/17	payment on a/c of purchase Busa turi for GO SADHAN	16000	for Ghow Sadhan	receipt not collected of payment
				Total	324540		

17. मानदेय के रूप में ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा तथा यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) की जाँच करने पर पाया गया कि बिना सभा में उपस्थिति के कारण निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को मानदेय ₹4775 का अधिक भुगतान किया गया था। अत : बिना सभा में उपस्थिति के निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पंचायत स्तर पर पूर्ण छानबीन उपरान्त अधिक भुगतान राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5 दिनांक 30.07.18 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या शून्य दिनांक 4-04-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ने सूचित किया गया कि निर्वाचित सदस्यों को मानदेय ₹4775 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली करके आगामी अंकेक्षण के दौरान को दिखाई जाएगी।

Excess payment of Honorarium to Panchyat Members.

Name of Member	Date of Meeting for which payment was made	Amount Paid (₹)	Remarks
Sh. Ranvir chauhan	05.05.2015	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh. Ranvir chauhan	22.05.2015	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh. hukam chand	22.05.2015	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh.Ranvir chauhan	5.06.15	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh.Ranvir chauhan	22.06.15	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh. pradeep	22.06.2015	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh.Ranvir chauhan	05.07.2015	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh. pradeep	05.07.2015	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh.Ranvir chauhan	17.07.2015	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Smt. Meera	6.03.17	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Smt. Ranja	6.03.17	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Smt. Sunita	6.03.17	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh. Ramesh	6.03.17	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh. Rajesh	6.03.17	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh. Ramesh	24.03.17	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh. Rajesh	24.03.17	200.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books

Smt. Ranjna	5.04.17	225.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Smt. Sunita	5.04.17	225.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh. Rajesh	5.04.17	225.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Smt. Ranjna	18.04.17	225.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Smt. Sunita	18.04.17	225.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Smt. Meera	18.04.17	225.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh. Ramesh	18.04.17	225.00	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Total		4775.00	

18. अंकेक्षण को ₹4.83 लाख के भुगतानों के वाऊचर/ अभिलेख इत्यादि उपलब्ध न करवाना

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार किए गए ₹458495 की राशि के विभिन्न भुगतान से सम्बन्धित वाउचर व अभिलेख अंकेक्षण को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस संदर्भ में सचिव ग्राम पंचायत को इन सभी व्यय वाऊचरो को आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में वर्णित भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

रोकड़ वही पृष्ठ सं0	तिथि	निधि का नाम	विवरण	राशि (₹)	अभियुक्ति
97	17-04-17	own sources	payment of electricity bill	2000	
98	24-04-17	own sources	payment of electricity bill	21940	
4	14.03.17	14th FC	head:- Sochalaya Dhali	50000	during persual of cash book it has been noticed that in cash book page no. 4 Rs 50000/- was paid but the detail of payment as well as bill no. , name of firm was not entered in the cash book More over the expenditure vouchers were not produced before audit for

					chacking.As per bank pass book this payment were paid to Vinod Chauhan vide ch. no. 00000000001
4	18-03-17	14th FC	head:- Panchayat Bhawan kairi	260420	during persual of cash book it has been noticed that in cash book page no. 4 Rs260420/- was paid but the detail of payment as well as bill no. , name of firm was not entered in the cash book More over the expenditure vouchers were not produced before audit for chacking.As per bank pass book this payment were paid to Gopal Agencies vide ch. no. 00000000002
5	05-04-17	14th FC	head:- Pacca path dhakal	20000	during persual of cash book it has been noticed that in cash book page no. 5 Rs20000/- was paid on a/c of supply of sand 157 cubic feet, purchase of rorhi. the detail of payment as well as bill no. , name of firm was not entered in the cash book More over the expenditure vouchers were not produced before audit for chacking.As per bank pass book this payment were paid to Sh. Hakam Chauhan vide ch. no. 00000000008
5	05-04-17	14th FC	Head:-C/o Pacca path dhakal	30000	during persual of cash book it has been noticed that in cash book page no. 5 Rs30000/- was paid , the detail of payment as well as bill no. , name of firm was not entered in the cash book More over the expenditure vouchers were not produced before audit for chacking.As per bank pass book this payment were paid to Sh. Mohan Chauhan vide ch. no. 00000000009

6	07-04-17	14th FC	Head:-C/o shabdha Grha halie	14000	during persual of cash book it has been noticed that in cash book page no. 6 Rs14000/- was paid , the detail of payment as well as bill no. , name of firm was not entered in the cash book More over the expenditure vouchers were not produced before audit for chacking.As per bank pass book this payment were paid to Sh. Mohan Chauhan vide ch. no. 000000000012
6	17-04-17	15th FC	Head:-C/o shabdha Grha halie	8850	during persual of cash book it has been noticed that in cash book page no. 6 Rs 8850/- was paid , the detail of payment as well as bill no. , name of firm was not entered in the cash book More over the expenditure vouchers were not produced before audit for chacking.As per bank pass book this payment were paid to Sh. Mohan Chauhan vide ch. no. 000000000004
6	17-04-17	15th FC	Head:-samodayak sochallya, dhali	36285	during persual of cash book it has been noticed that in cash book page no. 6 Rs 36285/- was paid , the detail of payment as well as bill no. , name of firm was not entered in the cash book More over the expenditure vouchers were not produced before audit for chacking.As per bank pass book this payment were paid to Sh. Mohan Chauhan vide ch. no. 000000000003

7	25-04-17	15th FC	Head:- samodayak sochallya, dhali	15000	during persual of cash book it has been noticed that in cash book page no.7 Rs 15000/- was paid , the detail of payment as well as bill no. , name of firm was not entered in the cash book More over the expenditure vouchers were not produced before audit for chacking.As per bank pass book this payment were paid to Sh. Mohan Chauhan vide ch. no. 000000000005
			TOTAL	458495	

(ख) ₹ 24810 के भुगतान बारे

ग्राम पंचायत क्यारी के चयनित माह 3/17 के व्यय वाउचर का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹24810 का भुगतान for the supply of kota stone and stone हेतु रोकड़ बही के पृष्ठ 92 पर दिनाक 21/03/17 को किया गया था परन्तु इस भुगतान से सम्बंधित bills अभिलेखों मे नहीं पाये गये और न ही अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए l इसके अतिरिक्त यह भुगतान किस फर्म को किया गया वह भी रोकड़ बही मे स्पष्ट नहीं था | अत: अभिलेखों मे bills का न पाया जाना और भुगतान किस फर्म को किया गया है, की पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान न करवाने के कारण वर्णित भुगतान राशी के दुर्वियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता जिसकी उचित जाँच पड़ताल पंचायत स्तर पर करके वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेखों की पुष्टि आगामी अंकेक्षणके दौरान करवाई जाए अन्यथा वर्णित राशी की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाये|

19. चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए के भुगतान के संदर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादिका संधारण न करना

अंकेक्षण अवधि 04/2015 से 03/2018 तक के दौरान चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि इन सभी कर्मचारियों को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था परन्तु भुगतान के समर्थन में उपस्थिति रजिस्टर का संधारण नही किया गया था जिसके कारण वर्णित कर्मचारियों को किए गए भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका । अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और अपेक्षित सत्यापित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए अन्यथा भुगतान उचित न पाए जाने की अवस्था में सम्बन्धित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

20. नियमानुसार विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख -रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था , जोकि गम्भीर अनियमितता है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख का विवरण	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	क्लासीफाइड एबस्ट्रक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

21 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 विविध अनियमितताए

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार नकरना

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त आय और अनुदानों को बैंक में जमा करवाया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित खाते पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड –B होगे। पंचायत फ़ंड -A में ग्राम पंचायत के स्व: स्रोत्र से प्राप्त आय जमा होगी जबकि पंचायत फ़ंड –B में अनुदानों से प्राप्त आय जमा की जायेगी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय-व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का संधारण किया गया है , तथा साथ ही प्राप्त स्व : स्रोत्र आय और विभिन्न अनुदानों को विभिन्न बैंक खातों में तदानुसार ही

जमा करवाया गया था, जोकि अनियमित है क्योंकि उपरोक्त वर्णित नियम के अन्तर्गत पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड –B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन एवं संधारण किया जाना चाहिए था। अत: पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड –B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book	इस रोकड़बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MANGERGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for MG NAREGA	इस रोकड़बही में MG NAREGA से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for Integrated Water Shed Grant &PMSKVY	इस रोकड़बही में Integrated Water Shed Grant & PMSKVY से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for 14th FC	इस रोकड़बही में 14th FC Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अत : सभी रोकड़ बहियों का संधारण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) 14th SFC की रोकड़ बही का भी पूर्ण रख रखा व नहीं किया था , रोकड़ बही मे प्राप्ति तथा उससे किये व्यय का पूर्ण विवरण वर्णित नहीं था I इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4 दिनांक 30.07.18 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या शून्य दिनांक 4-04-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ने सूचित किया गया कि 14th SFC की रोकड़ बही का रख रखाब नियमानुसार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिशिचित किया जाएगा I अतः कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

(घ) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ -2 विहित फार्म -7 पर खाता बहियों का रख रखाव भी किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है I अतः नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का संधारण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु विहित फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु विहित फार्म -8 पर Classified Abstract का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत : नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2018 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाई गई थी जोकि अनियमित है । अत:93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(छ) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था जिसके कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीद बुकों के अन्तर्गत प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही रसीद बुकों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

(**च) मनरेगा** से संबन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 04/2015 से 03/2018 तक के दौरान **मनरेगा** से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन -देन जिलाधीश कार्यालय , शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता हैं। चूँकि सभी भुगतान बिल वाउचर पंचायत स्तर पर ही तैयार किये जाते है तथा उसका अभिलेख भी पंचायत स्तर पर ही रखा जाता है इसलिए रोकड़ बही का लेखांकन भी पंचायत स्तर पर किया जाना अनिवार्य है । अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(छ) रोकड़ बही में आय संग्रह के लिए जारी रसीदों की संख्या को नही दर्शाया गया था जिसके कारण कौन सी रसीद संख्या किस शीर्ष की आय प्राप्ति हेतु जारी थी यह पुष्टि अंकेक्षण से की गयी में नहीं की जा सकी| अत: इस बारे स्थिति सपष्ट की जायें| और रोकड़ बही में रसीदों

की संख्या को अंकित करके आगामी अंकेक्षणके दौरान सत्यापना करवाई जानी सुनिशिचित की जाये|

23. **लघु आपति विवरणिका :-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर लिया गया था ।

24. **निष्कर्ष:-** लेखों मे सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(i)92/2018 खण्ड–1–85–88 दिनांक 5.1.19 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत क्यारी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतरएक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881